



राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर (राजमेस)

गोविन्द मार्ग, जनता कॉलोनी, चिकित्सा शिक्षा भवन, जयपुर
(राजस्थान सरकार द्वारा गठित)

(राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत)

क्रमांक:- F.1(35)/RajMES/Estt./faculty/2019/pt. 2676 दिनांक: 29.12.2020

-: परिपत्र :-

इस कार्यालय के परिपत्र सं० 2082 दिनांक 13.09.2019 में आंशिक संशोधन करते हुए बिन्दु 1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

“ 1. पांच वर्ष की नियमित एवं निरन्तर सेवा से पूर्व उच्च अध्ययन की अनुमति देय नहीं होगी। ”

निदेशक,
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर

क्रमांक:- F.1(35)/RajMES/Estt./faculty/2019/pt.

दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा एवं अध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं उपाध्यक्ष, राजमेस, जयपुर।
3. समस्त प्रधानाचार्य, राजमेस मेडिकल कालेज।
4. नोडल अधिकारी, वेबसाईट को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को वेबसाईट पर अपलोड करावें।
5. रक्षित पत्रावली।

11

निदेशक,
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी
जयपुर